संख्या-211 /XXVI /P.M.G.Y.(Health)/04-43/नि0अनु0/2004

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादून: दिनॉक: 24 मई, 2004

विषय— प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए वित्तीय वर्ष 2003—04 में स्वीकृत द्वितीय किस्त की धनराशि हेतु वित्तीय वर्ष 2004—05 में केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 385/43—नि0अनु0—02/पी0एम0 जी0वाई0 (चि0)/03, दिनांक 18 अक्टूबर, 2003 तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या—44 (1) पी0एफ0आई0/2003—342, दिनॉक 29 मार्च, 2004 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0जी0वाई0 के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य की संलग्न योजनाओं हेतु रू0 7.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति तथा रू0 3.50 करोड़ प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत किये गये थे। अवशेष धनराशि रू0 3.50 करोड़ (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 में द्वितीय किस्त के रूप में संलग्न विवरण में आवंटनानुसार अंकित धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तब ही किया जायेगा जब उपरि उल्लिखित शासनादेश द्वारा स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग हो जाय जिन जनपदों द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया हो वे ही इस धनराशि के विपरीत आवटित धनराशि का आहरण कर सकते है।

3— कार्य की गुणत्तता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे

4— स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके यथा आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जायेगा। निर्माण कार्य से संबंधित योजनाओं के आंगणन लोक निर्माण विभाग की दरों पर सक्षम तकनीकी निर्माण एजेन्सी में बनवाकर उस पर सक्षम स्तर के तकनीकी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5— उक्त धनराशि का व्यय केन्द्र से प्राप्त सहायता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत अनुमोदित स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक किया जायेगा।

6— उक्त स्वीकृत धनराशि की जनपद वार फॉट भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आपके स्तर से की जायेगी तथा इसका आवंटन वर्तमान नियमों/आदेशों तथा धनराशि का उपयोग समय—2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

7— उक्त स्वीकृत योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा तथा किसी अन्य योजना पर धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा एवं योजनाओं पर व्यय करने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम स्तर के अधिकारी का पूर्वानुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

8— स... कार्यों पर होने वाला व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स... परचेज रूल्स, टेण्डर/ कोटेशन के नियमों एवं मितव्ययता के संबंध में

समय–2 पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा तथा जो उपकरण/सामग्री इत्यादि डी0जी0एस0 एण्ड डी0 पर हैं उन्हें इन्हीं दरों पर क्रय किया जायेगा।

9–1 उक्त प्रस्तर–2 से 4 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक एवं मुख्य वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करते हुए सुव्यवस्थित लेखा रखेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित वित्त/नियोजन विभाग को दी जायेगी।

10– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार को यथा समय उपलब्ध कराते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही दूसरी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

11 इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–00–आयोजनागत–092–अन्य कार्यालय-01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–01–प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

12– यह स्वीकृति वित्त विभाग अशासकीय संख्या–283 /वि0अनु0–3/2004 दिनांक 18 मई, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

आलोक कुमार
अपर सचिव।

संख्याः– (1) /XXVI /P.M.G.Y.(H.)/04–43/नि0अनु0/2004,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स विल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आय–व्ययक अनुभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29 मार्च, 2004 के कम में।
3– निदेशक, (आर0डी0) योजना आयोग, योजना भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– जिलाधिकारी, देहरादून ।
7– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
5– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
9– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
10– समन्वयक, एन0आई0सी0,उत्तरांचल, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एन0जोशी)
उप सचिव।

c:\Mehta\pmgy

शासनादेश संख्या–२११ /XXVI/P.M.G.Y.(H.)/04–43/नि0अनु0/2004,दिनांक २५ मई, 2004 का संलग्नक–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	कुल लागत	द्वितीय किस्त की धनराशि
1	औषधि/रसायन डिस्पोजेबिल 2 प्रतिशत इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन हेतु	247.50	123.75
2	उपकरण (निष्प्रोज्य प्रबंधन सहित) फर्नीचर, वस्त्र, बिस्तर क्रय/मरम्मत हेतु	50.00	25.00
3	उप केन्द्रों का निर्माण हेतु	302.50	151.25
4	उप केन्द्रों/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों/सामु0 स्वास्थ्य केन्द्रों पर बिजली, पानी, शौचालयों की व्यवस्था हेतु	50.00	25.00
5	उप केन्द्रों का किराया एवं एन0एन0एम0 मोबिलिटी हेतु	50.00	25.00
	योग–(रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र)	700.00	350.00

आज्ञा से,

(जे0पी0जोशी)
उप सचिव।